न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 75 / 2020

वादीगण :—	बनाम	प्रतिवादीगण :—
1. सुशीला पत्नि नवरतनमल जाति घांची नि0 सोजतरोड़, तह0 सोजत जिला पाली।	1.	कैलाश पुत्र घीसुलाल जाति घांची नि0 बगडीनगर, तह0 सोजत जिला पाली।
	2	किशोर कुमार पुत्र डवराराम जाति सीरवी नि0 बगडीनगर, तह0 सोजत जिला पाली।
	3	तहसीलदार, (भूमिधारक) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री धर्मीचन्द देवासी अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. श्री मुकेश भाटी, अधिवक्ता प्रति. संख्या 1 उपस्थित

—: निर्णय :— दिनांक — 30/05/2022

अधिवक्ता मय वादीया ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा बगडीनगर, तह0 सोजत के खसरा नंबर 2470 / 6 रकबा 0.0446 है0 कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि में 1 / 3 हिस्सा कृषि भूमि वादीनी की खरीद सुदा कब्जा सुदा एवं मालिकाना हक की कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 2470 / 6 रकबा 0.0446 है0 जो पूर्व में जोगाराम पुत्र वीरमराम, भीकी देवी पत्नि जोगाराम की खातेदारी सुदा व कब्जा सुदा कृषि भूमि थी। तत्पश्चात दिनांक 23.11.1995 को उक्त कृषि भूमि का 1 / 3 हिस्सा मुसम्मी शान्तिलाल पुत्र घीसुलाल ने खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। लेकिन अपनी घरेलु आवश्यकता के अनुसार दिनांक 23.09.2013 को उक्त भूमि का सम्पूर्ण 1 / 3 हिस्सा वेनाराम पुत्र हीराराम जाति सीरवी को बेचाण कर दिया था तथा पुनः वेनाराम ने अपने घरेलु रूपयो की आवश्यकता के अनुसार दिनांक 21.04.2014 को वादीनी सुशीला को बेचाण कर मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया। जिसकी बेचाण रजिस्ट्री दस्तावेज वाद पत्र के साथ संलग्न हैं उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 2470 / 6 रकबा 0.0446 हैक्टर का 1 / 3 हिस्सा जो क्रमशः खातेदार जोगाराम, भीकीदेवी से शांतिलाल पुत्र घीसुलाल तथा शान्तिलाल से वेनाराम को तथा वेनाराम से सुशीला देवी पत्नि नवरतनमल को बेचाण मौके पर कब्जा सुपुर्द कर दिया। तत्पश्चात बेचाण रजिस्ट्री के आधार पर केवल मात्र शान्तिलाल के नाम ही खातेदारी दर्ज हुई थी। अन्य बेचाण के आधार पर खातेदारी दर्ज नही हो पाई। जबकि सम्पूर्ण बेचाण रजिस्ट्री उपपंजीयन अधिकारी, सोजत द्वारा पंजीयन है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि में एक मात्र कब्जा सुदा मालिकाना हक 1 / 3 हिस्से का वादीनी सुशीला का प्रतिवादी संख्या 1 कैलाश का 1 / 3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 02 किशोर कुमार का 1 / 3 हिस्सा आता है, उक्त कृषि भूमि में खातेदार हेमाराम ने अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 को बेचाण कर दिया था। तत्पश्चात हेमाराम की मृत्यु हो गई थी।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

तथा खातेदार शान्तिलाल ने भी उक्त हिस्सा वेनाराम को तथा वेनाराम ने वादीया को बेचाण कर दिया। इसलिए हेमाराम, शांतिलाल, वेनाराम का किसी प्रकार का कानूनी हक नही है। इसलिए इनको पक्षकार नही बनाया है। जो बेचाण पंजीयन दस्तावेज से साबित है। इसलिए उनको पक्षकार नही बनाया गया है। वादीया की कृषि भूमि व प्रतिवादीगण की कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में वर्तमान में शान्तिलाल दर्ज है, जबकि शान्तिलाल ने सन 2013 में ही कृषि भूमि बेचाण कर दी थी। शान्तिलाल व वेनाराम का किसी प्रकार का कानूनी हक उक्त कृषि भूमि पर नही रहा है। वादीया ही एक मात्र मालिक है जिसे अपनी खातेदारी प्राप्त करने का कानूनी हक है। वादीया ने बेचाण रजिस्ट्री के आधार पर सम्पूर्ण चैन दस्तावेज की पटवारी हल्का के समक्ष दिनांक 25.07.2020 को पेश की थी, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा केम्प में व मिटिंग में नामान्तरकरण उक्त खातेदारी प्रदान करने का आश्वासन दिया। लेकिन आज दिन तक खातेदारी दर्ज नही की, जबकि नामान्तरण एक विधिवत प्रक्रिया है, जिसमे पटवारी हल्का की प्राथमिक ड्यूटी है, यदि पूर्व खातेदारी ने कृषि भूमि बेचाण कर दी है, तथा उसके बाद भी खातेदारी परिवर्तन नही होती है तो राजस्व त्रुटिया होने की पूर्ण सम्भावना रहती है वादीनी को अपनी खरीद सुदा पंजीयन सुदा कृषि भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 2470/6 में प्रत्येक का 1/3–1/3 मौके पर बंटवाडा हो चुका है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज नही होने व मौके पर तरमीम नही होने की वजह से सीमा को लेकर बार–बार विवाद होता है जिससे वादीनी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता हैं तथा राज्य सरकार की योजना से भी वंचित होना पड़ता हैं। वादीया द्वारा दिनांक 25.07.2020 को पटवारी हल्का को खातेदारी हेतु आग्रह करने पर आश्वासन ही मिलने तथा प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 30.07.2020 को बंटवाड़ा करने से मना करने से यह दावा ग्राम बगडी तह0 सोजत में पैदा हुआ जो अन्दर म्याद पेश किया है। वाद बंटवाडा होने से वाद में तहसीलदार,(भूमिधारक) आवश्यक पक्षकार है। वाद ग्रस्त कृषि भूमि सरहद मौजा बगडी चक प्रथम में होने से यह वाद न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का है। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादिया ने वाद–पत्र शपथ पत्र मय दस्तावेजात पेशकर माफिक दावा वाद डिक्री किये जाने अर्थात डिक्री बहक वादीनी विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस अमर की सादिर किये जाने कि सरहद मौजा बगडीनगर, प0ह0 बगडी चक प्रथम तह0 सोजत के खसरा नंबर 2470/6 रकबा 0.0446 है0 की कृषि भूमि में 1/3 हिस्से की वादीनी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा उक्त कृषि भूमि में 1/3 हिस्से में वादीनी, 1/3 हिस्से की प्रतिवादी संख्या 1 एवं 1/3 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 2 के मध्य मौके अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर अलग–अलग जमाबदी में नाम दर्ज किये जाने तथा प्रतिवादीगण को उक्त वादस्थ कृषि जोत की भूमि में वादीया को बेदखल नहीं करे, वादी के क़ब्जे काश्त में दखलंदाजी करने से प्रतिवादीगण को ज़रिए स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

श्री मुकेश भाटी ने वकालतनामा पेश किया प्रतिवादी संख्या 01 व 03 द्वारा जबाब दावा पेश नही करना चाहने से दिनांक 19.05.2022 को जबाब दावा बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से ईकबालिया जबाब दावा पेश कर वादस्थ भूमि अवस्थित होने के तथ्य सही होने से स्वीकार किया है। वाद पत्र के पद संख्या 8 से 11 को कानूनी होना अंकित किया है। वाद पत्र के पद संख्या 12 अ, ब, स, द, य वादीया की ईश्तदुआ है जो वादीया को प्रदान किये जाने में स्वीकारोक्ति अंकित की तथा ई0ज0दा0 पेश कर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वादग्रस्त कृषि भूमि का बंटवाडा किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 02 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही होना अंकित किया अर्थात वादी एवं प्रतिवादी के मध्य सहमति से बंटवाड़ा कर वाद डिक्री किये जाने हेतु सहमति दी है।

अधिवक्ता वादी ने दिनांक 19.05.2022 को उपस्थित होकर वादपत्र में वादस्थ भूमि का बंटवाडा किए जाने की ईश्तदुआ को वापस लेने हेतु ईश्तदुआ कर आदेशिका में अंकित करते हुए हस्ताक्षर किये। वादी द्वारा अपनी विभाजन की ईश्तदुआ वापस लेने के निवेदन पर मूल वाद धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की हद तक खारिज किया जाता है।

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने व्यक्त किया कि चूँकि विवादित आराजी की कृषि भूमि माफिक दस्तावेजात बेचान रजिस्ट्री दिनांक 23.11.1993 द्वारा खसरा नंबर 2470/6 रकबा 0.0446 है0 की कृषि भूमि में 1/3 हिस्से की वादीनी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा पाने के विधिक उतराधिकारी है। चूँकि वाद पत्र में वर्णित सम्पूर्ण तथ्यों अनुसार वाद–पत्र को माफिक दावा वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिसके जबाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने दावा वाद डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, मय शपथ–पत्र ईकबालिया जबाब दावा प्रतिवादीगण 02, पंजीबद्ध दस्तावेजात दिनांक 23.11.1993 एवं 23.04.2014 राजस्व रेकर्ड एवं अन्य दस्तावेत का गहनता से अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः पूर्व मूल खातेदार जोगा पुत्र वीरम एवं भीखी पत्नी जोगाराम द्वारा शांतीलाल को जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 23.11.1993 द्वारा तथा पूनः शांतीलाल ने नेनाराम को उक्त भूमि जरिये विक्रय विलेख बैचान करने से तथा वेनाराम द्वारा 1/3 हिस्से का बैचान वादिया सुशीला को जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 23.04.2014 को बैचान किया किन्तु वर्तमान जमाबन्दी में शांतीलाल पुत्र घीसूलाल 1/3 हिस्सा दर्ज सुदा गलत रूप से चला आ रहा है। लिहाजा अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद माफिक पंजीबद्ध दस्तावेज एवं दावा डिक्री किया जाना वादीया को उक्त विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 2470/6 रकबा 0.0446 है0 की कृषि भूमि में 1/3 हिस्से का शांतिलाल पुत्र घीसूलाल 1/3 हिस्से के स्थान पर वादीनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाना उचित समझते है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

—::आदेश::—

अतः माफिक दावा एवं पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 23.11.1993 23.04.2014, डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा बगडीनगर, प0ह0 बगडी चक प्रथम तह0 सोजत के खसरा नंबर 2470/6 रकबा 0.0446 है0 की कृषि भूमि में शांतिलाल पुत्र घीसूलाल के 1/3 हिस्से के स्थान पर वादीनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार, सोजत को निर्णय एवं डिक्री पर्चा की प्रतिलिपि भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 30/05/2022 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादीगण :–	बनाम	प्रतिवादीगण :–
1. सुशीला पत्नि नवरतनमल जाति घांची नि0 सोजतरोड़, तह0 सोजत जिला पाली।	1.	कैलाश पुत्र घीसुलाल जाति घांची नि0 बगडीनगर, तह0 सोजत जिला पाली।
	2	किशोर कुमार पुत्र डवराराम जाति सीरवी नि0 बगडीनगर, तह0 सोजत जिला पाली।
	3	तहसीलदार, (भूमिधारक) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :– 09/2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी धर्मीचन्द देवासी अधिवक्ता वादीगण तथा श्री मुकेश भाटी अधिवक्ता प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक दावा एवं पंजीबद्व दस्तावेज दिनांक 23.11.1993 23.04.2014, डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा बगडीनगर, प0ह0 बगडी चक प्रथम तह0 सोजत के खसरा नंबर 2470/6 रकबा 0.0446 है0 की कृषि भूमि में शांतिलाल पुत्र घीसूलाल के 1/3 हिस्से के स्थान पर वादीनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार, सोजत को निर्णय एवं डिक्री पर्चा की प्रतिलिपि भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान –　　　　मुबलिग –　　　　बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30/05/22 को जारी किया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			